International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 10-04-2025, Accepted: 11-05-2025, Published: 26-05-2025
Volume 11, Issue 3, 2025, Page No. 50-52

छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की जड़ें: पंचायती राज की सामाजिक भूमिका

Devendra Gulhare
Assistant Professor, Department of Political Science, Shri Davara University, Naya Raipur, Chhattisgarh, India

सारांश
पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला एक प्रभावशाली तंत्र है, जो आम जनता को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार देता है। यह प्रणाली ग्रामीण स्तर पर शासन और विकास को सशक्त बनाती है, जिससे स्थानीय नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। हालांकि, इसे वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण के अभाव और पारदर्शिता की चुनौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि इन चुनौतियों को दूर कर जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो यह व्यवस्था गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर सकती है और ग्रामीण भारत को समावेशी विकास की ओर अग्रसर कर सकती है।

मूलशब्द: पंचायती राज, ग्रामीण विकास, लोकतंत्र, ग्राम स्वराज, जनभागीदारी, स्थानीय शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, छत्तीसगढ़

1. पंचायती राज व्यवस्था: भूमिका

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था की सफलता उसकी जमीनी पकड़ पर निर्भर करती है, और यही उद्देश्य पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह एक ऐसी विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को सशक्त बनाने का कार्य करती है। पंचायती राज में स्थानीय स्तर पर शासन और विकास से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार ग्रामवासियों को होता है, जिससे वे सीधे रूप से शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह व्यवस्था नागरिकों को राजनीतिक सशक्तिकरण प्रदान करने के साथ–साथ विकास की योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। पंचायती राज की मूल अवधारणा महात्मा गांधी के "ग्राम स्वराज" के विचार से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में देखने का स्वप्न संजोया था। भारत में इस प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दी गई, जिससे यह ग्रामीण भारत की लोकतांत्रिक संरचना का एक मजबूत स्तंभ बन गया।[1] पंचायती राज आज न केवल प्रशासनिक प्रणाली है, बल्कि यह जनभागीदारी, सामाजिक न्याय और सतत विकास का प्रतीक भी बन चुका है।

2. पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास

भारत में पंचायती राज की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन समय में गांवों में आपसी विवादों का निपटारा और सामूहिक निर्णय लेने का कार्य पंचायतों के माध्यम से ही होता था। यद्यपि यह प्रणाली अनौपचारिक रूप से लंबे समय से विद्यमान थी, लेकिन इसे विधिवत संवैधानिक मान्यता वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुई। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243– ए से 243–ओ तक को जोड़कर पंचायती राज को एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया।[2] इसके साथ ही संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए गए, जिनमें ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।[3] छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत लागू किया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन के बाद वर्ष 2001 में और अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया4। राज्य सरकार द्वारा पंचायती संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए समय–समय पर संशोधन और नीतिगत परिवर्तन किए गए, जिससे ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी और जनमुखी बन सके।

3. छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज की संरचना

छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरीय ढांचे पर आधारित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन को लागू करने का सशक्त माध्यम है। राज्य में यह संरचना क्रमशः ग्राम पंचायत (गाँव स्तर), जनपद पंचायत (विकासखंड स्तर) और जिला पंचायत (ज़िला स्तर) पर कार्य करती है। प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यरत होते हैं, जो स्थानीय विकास, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायती राज में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, जिससे वंचित वर्गों को नेतृत्व के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्राम पंचायतों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे स्थानीय जरूरतों और सांस्कृतिक संवेदनाओं के अनुरूप निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। यह संरचना शासन को जमीनी स्तर तक पारदर्शी, उत्तरदायी और सहभागी बनाती है, जो लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाती है।

सारणी क्रमांक 1: संभाग अनुसार पंचायतों की प्रतिशतता

क्रमांक	संभाग	संभाग में कुल जिलों की संख्या	ग्राम पंचायत	संभाग अनुसार पंचायतों की प्रतिशतता	रिमार्क
1	रायपुर	5	2317	19.86%	
2	बिलासपुर	8	2862	24.54%	
3	दुर्ग	7	2450	21%	
4	बस्तर	7	1840	15.77%	
5	सरगुजा	6	2195	18.81%	
कुल			11664	100%	

(स्त्रोत सन्दर्भ)[5]

4. कार्य और उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण शासन की रीढ़ मानी जाती हैं और इनके कंधों पर स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी होती है। इन संस्थाओं का प्रमुख कार्य ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना है, जिससे गांवों में समग्र और टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अंतर्गत पेयजल, सड़क, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का संचालन एवं रखरखाव शामिल होता है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाएँ जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भी पंचायतों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।[6] पंचायतों को ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जिससे ग्रामीण जनता सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सके और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर सके। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाएँ न केवल प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, बल्कि वे जनहित, विकास और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत सक्रिय मंच भी हैं।[7]

5. छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की स्थिति

छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुल राज्य है, जहाँ की सामाजिक और भौगोलिक संरचना ग्रामीण शासन को विशेष महत्व प्रदान करती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था राज्य में ग्रामीण विकास की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंचायती संस्थाओं को अधिक सशक्त और सक्षम बनाने के लिए ई–पंचायत, डिजिटल ग्राम, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने जैसे अनेक नवाचारी कदम उठाए गए हैं।[8] ई–गवर्नेंस के माध्यम से पंचायतों के कार्यों में डिजिटलीकरण लाकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना (**PESA** – Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) जैसे प्रयासों से स्थानीय शासन को अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनाने में मदद मिली है।[9] विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार देकर स्थानीय जनजातीय समाज को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया है।[10] इन सभी प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण जनता को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनाना और गांवों को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है।

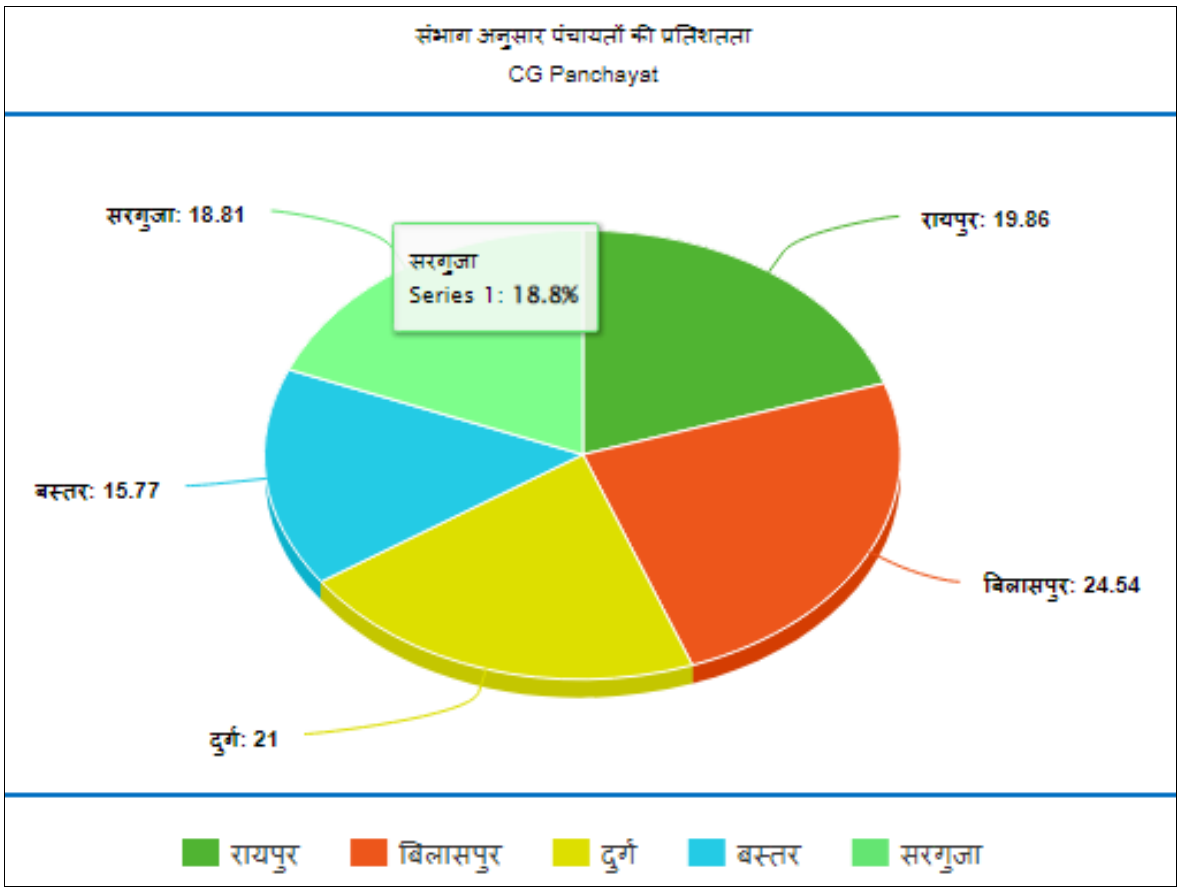

6. चुनौतियाँ

पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई गंभीर चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे बड़ी समस्या वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिसके कारण पंचायतें योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पातीं। इसके साथ ही, पंचायती प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रशासनिक दक्षता का अभाव होता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया और कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। भ्रष्टाचार, पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप भी पंचायतों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। ग्राम सभाओं में आम जनता की भागीदारी बहुत सीमित रह जाती है, जिससे लोकतांत्रिक संवाद और निगरानी की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है।[11] इसके अतिरिक्त, कई बार राज्य सरकारों का अत्यधिक नियंत्रण पंचायतों की स्वायत्तता को बाधित करता है, जिससे स्थानीय समस्याओं के समाधान में विलंब होता है। इन चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है ताकि पंचायती राज व्यवस्था अपने वास्तविक उद्देश्य–जनसहभागिता के माध्यम से ग्राम स्वराज की स्थापना–को पूरी तरह प्राप्त कर सके।

7. सुझाव

पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने हेतु कुछ ठोस सुझावों पर अमल आवश्यक है। सबसे पहले, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे वे प्रशासनिक, वित्तीय और

तकनीकी कार्यों को बेहतर ढंग से निभा सकें।[12] इसके साथ ही, पंचायती निधियों का पारदर्शी और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली आवश्यक है। डिजिटल युग में ई–गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता को गांव–स्तर तक विस्तार देना बेहद जरूरी है, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके। ग्राम सभाओं को अधिक प्रभावशाली और सक्रिय बनाकर नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक ढंग से हो सके। अंततः, सामाजिक अंकेक्षण की नियमित व्यवस्था कर पंचायतों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।[13] इन उपायों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाएं वास्तविक रूप में ग्रामीण विकास की धुरी बन सकती हैं।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल शासन का एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि जनता को निर्णय प्रक्रिया में सीधे सहभागी बनाने वाला अधिकार आधारित तंत्र है। ग्राम स्तर पर विकास की नींव रखने वाली इस प्रणाली के माध्यम से शासन को निचले स्तर तक पहुँचाया गया है, जिससे आम नागरिकों को सशक्त होने का अवसर मिला है। हालांकि, वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण का अभाव, और पारदर्शिता की कमी। यदि इन चुनौतियों को दूर करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो यह प्रणाली ग्राम स्वराज के गांधीवादी आदर्शों को साकार करते हुए ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी विकास की दिशा में ले जा सकती है। पंचायती राज न केवल विकास का माध्यम है, बल्कि यह लोकतंत्र का वास्तविक चेहरा है, जिसे मजबूत और सतत प्रयासों से और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

संदर्भ सुची

1. Government of India. 73rd Constitutional Amendment Act. Ministry of Law and Justice, 1992.
2. Mathew G. Panchayati Raj: From Legislation to Movement. Concept Publishing Company, 1994.
3. Singh SK. Rural Development and Panchayati Raj. Anmol Publications, 2018.
4. Chhattisgarh Panchayati Raj Act, 1993.
5. Ministry of Panchayati Raj. Annual Report 2019–2020. Government of India, 2020. https://www.panchayat.gov.in
6. Mathew G. Panchayati Raj: From legislation to movement. Concept Publishing Company, 1994.
7. Singh SK. Panchayati Raj in India: A new thrust. Anmol Publications, 2009.
8. Rao MG. Local governance in India: Decentralization and beyond. Oxford University Press, 2006.
9. The Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996.
10. Jain LC. Decentralisation and local governance. Orient Longman, 2005.
11. Mishra SN. Panchayati Raj: Bureaucracy and rural development. Mittal Publications, 2002
12. Singh K. Rural development: Principles, policies and management (3rd ed.). SAGE Publications, 2009.
13. Sharma MP, Sadana BL. Public administration in theory and practice (58th ed.). Kitab Mahal, 2020.